

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड IV
PART III—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार जनवरी 1, 1981/पौष 11, 1902
No. 1] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1981/PAUSA 11, 19

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
(कम्पनी सचिव)

अधिसूचना

कम्पनी सचिव विनियम, 1981

1981 का आई सी एस आई सं. 1

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1981

सं. 41/1/80-सी एल 5.—परिषद्, कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में पूर्व प्रकाशन और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी सचिव विनियम, 1981 है।

(2) य राजपत्र म प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे ।

2 कम्पनी सचिव विनियम, 1971 (जो भारतीय कम्पनी सचिव मस्थान परिषद् द्वारा बनाए गए विनियम हैं) जिस रूप म वे इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो उस सीमा तक जहाँ तक वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, आवश्यक उपान्तरणों के साथ, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए विनियम समझे जाएंगे ।

भारतीय कम्पनी सचिव
मस्थान परिषद्, नई दिल्ली के आदेश से,
टी पी सुब्बामन, सचिव

MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Company Affairs)

Institute of Company Secretaries of India
(Company Secretary)

NOTIFICATION

THE COMPANY SECRETARIES REGULATIONS 1981

ICSI No 1 of 1981

New Delhi the 15th January 1981

No 41/1/80-CI V.—In exercise of the powers conferred by section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) the Council with the previous publication in the Official Gazette and the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations namely —

1 (1) These regulations may be called the Company Secretaries Regulations 1981

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 The Company Secretaries Regulations 1971 (being the Regulations made by the Council of the Institute of Company Secretaries of India) is in force on the date of publication of these Regulations in the official gazette shall to the extent they are not inconsistent with the provisions of the said Act be deemed with necessary modifications to be the Regulations for the purpose of carrying out the provisions of the said Act

By the order of the Council of Institute of
Company Secretaries of India New Delhi
T P SUBBARAMAN Secy